रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 18—अक्तूबर 24, 2008 (आश्विन 26, 1930)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18—OCTOBER 24, 2008 (ASVINA 26, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्वाधीन)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2008

सं. एनएचबी/आरएमएमडी/324--राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 14 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रायोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाता है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आवास बैंक (कर बचत) सावधि जमा स्कीम, 2008 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं :

(1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:--

(क) ''अधिनियम'' से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) ''जमाकर्ता'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

(i) कोई व्यक्ति; या

(ii) कोई हिंदू अविभक्त कुटुम्ब;

जिसके द्वारा इस स्कीम के अनुरूप धन को सावधि जमा में जमा कराया जाता है।

(ग) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत राष्ट्रीय आवास द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र है।

(घ) ''सावधि जमा'' से कोई ऐसा जमा अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय आवास बैंक में पांच वर्ष की नियत अवधि के लिए है।

(ङ) ''वर्ष'' से अप्रैल मास के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उसे अधिनियम में हैं।

3. सावधि जमा की राशि-

(1) कोई जमाकर्ता सावधि जमा में कोई ऐसी रकम, जो एक वित्त वर्ष में एक लाख रुपए से अधिक राशि न हो, जमा कर सकता है ।
(2) सावधि जमा में जमा की जाने वाली रकम कम से कम दस हजार रुपए या उसके गुणित की होगी ।

4. सावधि जमा के प्रकार - (1) सावधि जमा, निम्नलिखित प्रकार का होगा, अर्थात् :-

(क) एकल धारक प्रकार जमा;
(ख) संयुक्त धारक प्रकार जमा;

(2) (क) एकल धारक प्रकार जमा रसीद किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए या किसी हिंदु अविभक्त कुटुब के कर्ता की हैसियत में जारी की जाएगी;
(ख) संयुक्त धारक प्रकार जमा रसीद, दो वयस्कों को संयुक्त रूप से या एक वयस्क और एक अवयस्क को संयुक्त रूप से और या तो धारकों को या उत्तरजीवी को संदेय, जारी की जा सकेगी:

परन्तु संयुक्त धारक प्रकार जमा के मामले में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 80ग के अधीन आय से कटौती केवल जमा के प्रथम धारक को ही प्राप्त होगी ।

5. जमा की अवधि -

जमा की अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी ।

6. नामांकन -

(1) पैराग्राफ 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी सावधि जमा के एकल धारक या संयुक्त धारकों द्वारा सावधि जमा करते समय विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टियां भरने पर किसी व्यक्ति को नामांकित किया जाए जो, यथास्थिति, एकल धारक या संयुक्त धारकों, दोनों की मृत्यु की दशा में, जमा करने के लिए और उस पर देय संदाय के लिए हकदार होगा । यदि ऐसा नामांकन, सावधि जमा करते समय नहीं किया गया है तो इसको, यथास्थिति, एकल धारक, संयुक्त धारकों या उत्तरजीवी संयुक्त धारकों द्वारा, सावधि जमा रसीद जारी किए जाने के पश्चात् किसी समय, किंन्तु इसकी परिपक्वता से पूर्व, उस बैंक की शाखा के, जिससे सावधि जमा रसीद जारी की गई थी, प्रभारी अधिकारी को विहित प्रपत्र में एक आवेदन के द्वारा किया जा सकेगा ।

(2) किसी अवयस्क के प्रपत्र द्वारा या अवयस्क की ओर से धृत किसी सावधिक जमा के संबंध में कोई नामांकन नहीं किया जाएगा ।

7. सावधिक जमा में जमा की प्रक्रिया -

किसी सावधिक जमा में जमा की वांछा करने वाला कोई जमाकर्ता, राष्ट्रीय आवास बैंक की किसी शाखा में या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अधिकृत किसी अनुसूचित बैंक की शाखा में विहित प्रपत्र में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

8. सावधिक जमा रसीद जारी करना -

(1) संदाय की प्राप्ति पर जमाकर्ता को राष्ट्रीय आवास बैंक सावधि जमा रसीद जारी करेगा ।

(2) सावधि जमा रसीद में जमाकर्ता का नाम, पता, स्थायी लेखा संख्यांक और हस्ताक्षर के साथ-साथ दिनांक, राशि, ब्याज दर, परिपक्वता तिथि तथा संचयी जमा के मामले में रसीद या मियादी जमा के मामले में ब्याज का भुगतान जैसी अन्य विशिष्टियां होंगी ।

9. सावधि जमा को गिरवी रखना -

सावधि जमा को कोई ऋण लेने के लिए या किसी अन्य आस्ति के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी नहीं रखा जाएगा । " किसी भी ऋण या ग्रहणाधिकार नहीं " का उल्लेख सावधि जमा रसीद पर किया जाएगा ।

10. खो गई या नष्ट हो गई सावधि जमा रसीदों का प्रतिस्थापन -

(1) यदि कोई सावधि जमा रसीद खो गई है, चोरी हो गई है, नष्ट हो गई है, विकृत हो गई है या विरूपित हो गई है तो उसका हकदार व्यक्ति रसीद की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ उन विशिष्टियों को जैसे रसीद का संख्यांक, रकम और तारीख दर्शित करते हुए और उन परिस्थितियों को दर्शित करते हुए जिनके कारण ऐसा नुकसान, चोरी, विकृति या विरूपण हुआ है, एक विवरण होगा ।

(3) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक किसी प्रमाण-पत्र के नुकसान, चोरी, विनाश, विकृति के तथ्य से सतुष्ट हो जाता है तो वह आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में एक या अधिक अनुमोदित प्रतिभूतियों या बैंक प्रत्याभूति के साथ क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रसीद की दूसरी प्रति जारी करेगा । यहां पर "रसीद संख्या --------------- के खो जाने के तहत अनुलिपि रसीद जारी" के तथ्य को ऐसी रसीद पर उल्लिखित किया जाएगा;

परन्तु यह कि जहां पर खो गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, विकृत हो गए या विरूपित हो गए प्रमाण-पत्र या प्रमाण-पत्रों का अंकित मूल्य या कुल अंकित मूल्य पांच सौ रूपए या उससे कम है तो आवेदक को रसीद की दूसरी प्रति, ऐसी प्रतिभूति या प्रत्याभूति के बिना ही क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जा सकेगी;

परन्तु यह और कि जहां ऐसा आवेदन ऐसी विकृत या विरूपित रसीद के संबंध में किया गया है चाहे उसका अंकित मूल्य कुछ भी हो, रसीद की दूसरी प्रति, किसी क्षतिपूर्ति बंधपत्र, प्रतिभूति या प्रत्याभूति के बिना जारी की जा सकेगी यदि विकृत या विरूपित रसीद अभ्यर्पित की गई है और रसीद की पहचान मूल रूप से जारी की गई रसीद के रूप में की जा सके ।

(4) उप-पैरा (3) के अधीन जारी की गई रसीद की दूसरी प्रति को इस स्कीम के सभी प्रयोजनों के लिए मूल रसीद के समतुल्य माना जाएगा ।

11. परिपक्वता पर भुनाना -

(1) किसी भी अंकित मूल्य की सावधि जमा रसीद की परिपक्वता अवधि रसीद की तारीख से प्रारंभ होकर पांच वर्ष के लिए होगी ।

(2) किसी भी सावधि जमा को उसकी रसीद की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के अवसान से पहले नहीं भुनाया जाएगा । हालांकि, यदि संयुक्त धारक प्रकार के मामले में प्रथम धारक की मृत्यु की स्थिति में द्वितीय धारक सावधि जमा को परिपक्वता अवधि से पूर्व पाने का हकदार होगा जिसके लिए प्रथम धारक की मृत्यु को समर्थित करने वाला प्रमाण-पत्र लगाकर राष्ट्रीय आवास बैंक में आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

12. ब्याज की दर -

(1) सावधि जमा पर ब्याज की दर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर नियत दर के अनुसार होगी।

(2) ब्याज का भुगतान परिपक्वता के समय पर एकमुश्त राशि के रूप में संदाय किया जा सकेगा या इसका संदाय जमाकर्ता द्वारा उल्लिखित विकल्प के अनुसार प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक छमाही में किया जा सकेगा ।

क. मियादी जमा -

मियादी जमा के अंतर्गत तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के विकल्प के साथ अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप में जारी किया जा सकता है ।

ख. संचयी जमा -

संचयी जमा में तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना कर परिपक्वता के समय मूलधन सहित देय होगा ।

13. नामितों का अधिकार -

(1) किसी सावधि जमा के धारक की मृत्यु की दशा में, जिसके संबंध में नामांकन प्रवृत्त हैं नामनिर्देशिती सावधि जमा की परिपक्वता की अवधि से पहले या उसके पश्चात् सावधि जमा को भुनाने के हकदार होगा या होंगे ।

(2) उप-पैरा (1) के प्रयोजन के लिए उत्तरजीवी नामनिर्देशिती, एक आवेदन करेंगे जिसके समर्थन में यह धारक की मृत्यु का और मृत नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों की, यदि कोई हो, तो मृत्यु का सबूत लगाएंगे ।

(3) यदि एक से अधिक नामनिर्देशिती हों तो भुगतान प्राप्त करते समय सभी नामनिर्देशिती रसीद का संयुक्त उन्मोचन देंगे ।

14. विधिक वारिसों को संदाय

यदि किसी सावधि जमा के धारक की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय कोई नामांकन प्रवृत्त नहीं है, तो बैंक उसके विधिक वारिसों को, मृतक को शोध्य राशि का संदाय करेगा ।

15. आयकर

(1) इन सावधि जमाओं पर ब्याज, आयकर अधिनियम 1961 के अधीन, जमाकर्ता द्वारा अनुसरित लेखा पद्धति पर आधारित वार्षिक प्रोदभूत या प्राप्ति के आधार पर कर के लिए दायी होगा ।

(3) ऐसे ब्याज पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार करों की कटौती की जाएगी ।

बोर्ड के आदेशानुसार

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय आवास बैंक

2-289 GI/08

NATIONAL HOUSING BANK
(WHOLLY OWNEDBY RESERVE BANK OF INDIA)

New Delhi, the 26th September 2008

No. NHB/RMMD/324.---In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 14 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the National Housing Bank hereby frames the following scheme, namely:-

1. Short title and commencement:-

(1) This Scheme may be called the National Housing Bank (Tax Saving) Term Deposit Scheme, 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

(1) In this scheme, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);

(*b*) "depositor" means—

(*i*) An individual; or

(*ii*) A Hindu undivided family

by whom money is deposited in the term deposit in accordance with this scheme;

(*c*) "Form" means a form as specified by the National Housing Bank;

(*d*) "Term deposit" means a deposit with the National Housing Bank for a fixed period of five years;

(e) "Year" means a year commencing on the 1st day of April;

(f) all other words and expressions used in the scheme, but not defined and defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Amount of term deposit:

(1) A depositor can deposit in the term deposit any amount not exceeding one lakh rupees in a financial year.

(2) The amount to be deposited in the term deposit shall be minimum of ten thousand rupees or multiples thereof.

4. Types of term deposit:

(1) Term deposits shall be of the following types, namely:-

(a) Single holder type deposits;

(b) Joint holder type deposits.

(2)(a) The single holder type deposit receipt shall be issued to an individual for himself or in the capacity of the Karta of the Hindu undivided family;

(b) The joint holder type deposit receipt shall be issued jointly to two adults or jointly to an adult and a minor, and payable to either of the holders or to the survivor:

Provided that in the case of joint holder type deposit, the deduction from income under section 80C of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) shall be available only to the first holder of the deposit.

5. Period of deposit:

The period of deposit shall be not less than five years.

6. Nomination.

(1) Subject to the provisions of paragraph 4, the single holder or the joint-holders of a term deposit may, by filling in necessary particulars in the prescribed form at the time of making the term deposit, nominate any person who, in the event of death of the single holder or both the joint holders, as the case may be, shall become entitled to the deposit and to the payment due thereon. If such nomination is not made at the time of making the term deposit, it may be made by the single holder, the joint holders or the surviving joint holder, as the case may be, at any time after the term deposit receipt is issued, but before its maturity, by means of an application in the prescribed form.

(2) No nomination shall be made in respect of a term deposit applied for and held by or on behalf of a minor.

7. **Procedure for deposit in term deposit.**

A depositor desiring to deposit in term deposit, shall present an application in the prescribed form at any of the offices of the National Housing Bank or at the designated branches of scheduled banks authorized by the National Housing Bank to receive deposit under this Scheme.

8. Issue of term deposit receipt.

(1)The National Housing Bank shall issue a term deposit receipt to the depositor on receipt of payment.

(2) The term deposit receipt shall bear the name, address, Permanent Account Number (PAN), signature of the depositor along with the other usual particulars like date, period, amount, rate of interest, maturity date, maturity value in case of Cumulative deposit receipt or periodicity of payment of interest in case of Fixed deposit receipt etc.

9. Pledging of term deposit

The term deposit shall not be pledged to secure loan or as security to any other asset. No Lien/No Loan shall be affixed on the face of the Term Deposit Receipt itself.

10. Replacement of lost or destroyed term deposit receipts.

(1) If a term deposit receipt is lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced, the person entitled thereto may apply for the issue of a duplicate receipt.

(2) Every such application shall be accompanied by a statement showing particulars, such as number, amount and date of the receipt, and the circumstance attending such loss, theft, destruction, mutilation or defacement.

(3) If the National Housing Bank is satisfied of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the certificate, it shall issue a duplicate receipt on the applicant furnishing an indemnity bond in the prescribed form with one or more approved sureties or with a bank guarantee. The fact "duplicate receipt issued in lieu of lost receipt no. ...." will be mentioned on the face of such receipt.

Provided that where the face value or the aggregate face value of the certificate or certificates lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced is five hundred rupees or loss, a duplicate receipt or receipts may be issued on the applicant furnishing an indemnity bond without any such surety or guarantee:

Provided further that where such application is made with respect to a receipt mutilated or defaced, of whatever face value, a duplicate receipt may be issued without any such indemnity bond, surety or guarantee, if the receipt mutilated or defaced is surrendered and the receipt is capable of being identified as the one originally issued.

(4) A duplicate receipt issued under sub-paragraph (3) shall be treated as equivalent to the original receipt for all the purposes of this scheme.

11. Encashment on maturity.

(1) The maturity period of a term deposit receipt of any denomination shall be five years commencing from the date of the receipt.

(2) No term deposit shall be encashed before the expiry of five years from the date of its receipt. Provided however that in the event of the death of the first holder of the deposit in case of a joint holder type deposit, the other holder of the deposit shall be entitled to encash the term deposit before its maturity by making an application to the National Housing Bank supported by proof of the death of the first holder of the deposit.

12. Rate of interest.

(1) The rate of interest on the term deposit shall be in accordance with the rate fixed by the National Housing Bank from time to time.

(2) The interest will be paid either in lump sum at the time of maturity or it may be paid yearly/half yearly depending upon the option exercised by the depositor.

a) Fixed Deposit- The fixed deposit can be issued with half yearly / yearly interest payment option with interest compounded quarterly.

b)Cumulative Deposit - Interest is compounded at quarterly rests and payable with principal on maturity.

3-289 GI/08

13. Right of nominees.

(1) In the event of the death of the holder of a term deposit in respect of which a nomination is in force, the nominee or nominees shall be entitled at any time before or after the maturity of the term deposit to encash the term deposit.

(2) For the purpose of sub-paragraph (1), the surviving nominee or nominees shall make an application supported by proof of death of the holder and of deceased nominee or nominees, if any.

(3) If there are more nominees than one, all the nominees shall give a joint discharge of the receipt at the time of receiving the payment.

14. Payment to legal heirs.

If a holder of a term deposit dies and there is no nomination in force at the time of his death, the sum due to the deceased, shall be paid to his legal heirs.

15. Income-tax.

(1) Interest on these term deposits shall be liable to tax under the Income Tax Act, 1961, on the basis of annual accrual or receipt, depending upon the method of accounting followed by the depositor.

(2) The tax on such interest shall be deducted in accordance with the applicable provisions under the Income Tax Act, 1961.

By order of the Board

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director
National Housing Bank

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008